उत्तर प्रदेश शासन
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग
संख्या-2046792/2022कृशिअ-67-1/54/2021
लखनऊः दिनांक 03 मार्च, 2022

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के शिक्षकों/कार्मिकों के वेतन मद के वहन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के राजस्व मद में अनुदान संख्या-011 लेखाशीर्षक-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-08-उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत रू.510.00 लाख (पांच करोड़ दस लाख रूपये मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति, पुनर्विनियोग (पुनर्विनियोग आदेश सं0-431/दस-2022, दिनांक 02.03.2022 संलग्न) के माध्यम से, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पदों के सापेक्ष किया जायेगा यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। इस धनराशि का उपयोग उन्हीं पदों के लिए किया जाय, जिनके वेतन हेतु पद सृजन के आदेश में राज्य सरकार की देयता निर्धारित है,
2) भविष्य में अनुदानित पदों पर कुल कितना व्ययभार अनुमानित है, का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा,
3) पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत की मदों में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जाएगी,
4) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा तथा धनराशि आहरित कर बैंक/पी.एल.ए. में नहीं रखी जाएगी तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा,
5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वेतनमद में सृजित देयता के सापेक्ष ही किया जायेगा,
6) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा,
7) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा,
8) पुनर्विनियोग धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा,
9) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा,
10) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा,
11) उक्त अनुदान के देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के कुलपति एवं वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे एवं देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा,

2- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**<u>संलग्नक :- पुनर्विनियोग आदेश ।</u>**

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

संo-2046792/2022(1)/67-कृशिअ-22,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या,
2. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम,उ0प्र0 प्रयागराज,
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या,
4. निदेशक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. वित्त्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, अयोध्या,
7. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या,
8. सचिव, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, वित्त्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,<br>
शत्रुन्जय कुमार सिंह,<br>
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

**फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)**

**पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन**

**(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158देखें)**

**वित्तीय वर्षः 2021-22**

अनुदान संख्या व नामः 11, कृषि तथा अन्य संबंद्ध विभाग (कृषि) (धनराशि लाख रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| अनुदान संख्या-11 लेखा शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-05-उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद को सहायक अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) | 1333.84 | 1333.84 | 510.00 | 510.00 | 823.84 |
| **योग-** | 1333.84 | 1333.84 | 510.00 | 510.00 | 823.84 |

(धनराशि लाख रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) राजस्व | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-08-उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)। | 756.43 | 1266.43 | 510.00 | 510.00 | 1266.43 |
| **योग-** | 756.43 | 1266.43 | 510.00 | 510.00 | 1266.43 |

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :- मद में मांग न होने के कारण बचत।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 मे अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- मद में पर्याप्त प्रावधान न होने एवं व्यय आवश्यक होने के कारण आवश्यकता।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 संख्याःआर.ई-431/दस-21, दिनांकः 02 मार्च, 2022 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

सेवा में,
महालेखकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर ....................................
नाम व पदनाम बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव।
प्रशासकीय विभाग. कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।

हस्ताक्षर.........................................................
नाम व पदनाम फूल चन्द यादव,
अनुसचिव,
वित्त विभाग।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्याः-   /2022/2046792(2)/67-कृशिअ-22-तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद,
2. आयुक्त / जिलाधिकारी / कोषाधिकारी,अयोध्या/ वित्त्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या / उत्त्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियो में),
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ,
5. गार्ड फाइल।

हस्ताक्षर........................................................................

नाम व पदनाम    बृजराज सिंह यादव,

विशेष सचिव।

प्रशासकीय विभाग- कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।